निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 123/19
दायरा दिनांक :-26.09.2019
निर्णय दिनांक:- 01.04.2022

उनवान

अमरलाल पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी बराना तहसील बारां जिला बारा

बनाम

1. अंबर प्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां
2. अमर सिंह पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिया तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88 89 90 आरटीएक्ट
निर्णय दिनांक:- 01.04.2022

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 89 90 आर टी एक्ट प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की खाता संख्या 9 आराजी खसरा नंबर 207 रखवा 1.32 हेक्टेयर बाके माल बराना में खातेदार का नाम अंबर प्रकाश खाता संख्या 9 की आराजी खसरा नंबर 192 रकवा 1.36 हेक्टेयर वाके माल बराना में अमर सिंह खाता संख्या 176 खसरा नंबर 70 रकबा 3.05 हेक्टेयर में से ½ हिस्से में अमर सिंह खाता संख्या 111 की आराजी खसरा नंबर 217 रकवा 0.11 हेक्टेयर खसरा नंबर 218 रकवा 0.11 है. खसरा नंबर 223 रकबा 0.10 हेक्टेयर खसरा नंबर 224 रकबा जीरो 0. 10 हेक्टेयर खसरा नंबर 226 रखवा 0. 12 हेक्टेयर खसरा नंबर 227 रखवा 0.04है. खसरा नंबर 230 रकवा 0.21 हेक्टेयर खसरा नंबर 309 रकवा 0.67 हेक्टेयर खसरा नंबर 310 रकवा 0.80 हेक्टेयर खसरा नंबर 313 रखवा 0. 82 हेक्टेयर बाके माल बराना में ½ हिस्से में अमर सिंह खाता संख्या 109 खसरा नंबर 219 रकबा 0.24 हेक्टेयर खसरा नंबर 222 रकवा 0.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

हेक्टेयर बाके माल कोटडा में 1/ 6 हिस्से में अमर सिंह खाता संख्या 3 आराजी खसरा नंबर 327 रकवा 1.80 हेक्टेयर में ½ हिस्से में अमर सिंह खाता संख्या 24 आराजी खसरा नंबर 325 रकवा 1.00 है.बांके माल करनाहेडा में अमर सिंह खाता संख्या 137 खसरा नंबर 151 रकबा 0.06 है.खेड़ा खसरा नंबर 326 रकबा 1.95 है.खसरा नंबर 329 रकबा 2.46 हैं. खसरा नंबर 243 रकवा 0.40 हेक्टेयर मैं 1/ 6 इससे मैं अमर सिंह गलत नाम दर्ज हो रहा है उक्त संपूर्ण आराजी आज तहसील बारां में अवस्थित है जिस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है जो वादी के पिता द्वारा नाबालिक अवस्था में जरिए विक्रय पत्र खरीद की गई थी खरीद के बाद से ही बदस्तूर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन खरीद के समय वादी को प्रतिवादी क्रम एक व दो के नाम से संबोधित किया जाता था तथा बचपन में प्यार से अंबर प्रकाश व अमर सिंह के नाम से पुकारा जाता था इस कारण विक्रय पत्र में बचपन का नाम सहवन से दर्ज हो गया बाद में शिक्षा ग्रहण करने के समय अमरलाल नाम दर्ज करवा दिया गया है जो वर्तमान में सभी दस्तावेजों में कायम है खातों में अमर प्रकाश व अमर सिंह नाम की खातेदार की गलती खातो में कायम चली आ रही है बादी की जमाबंदी यों में गलत नाम के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ से भी वंचित होता रहा है जो वर्तमान में भी बदस्तूर चला आ रहा है वादी द्वारा त्रुटियों को दुरुस्त कराने हेतु कई मर्तबा राज्य कर्मचारियों का मौखिक व लिखित निवेदन किया लेकिन आज तक वादी की त्रुटियों को खाते में सही नहीं किया गया है बादी के खाते में अमरप्रकाश अमर सिंह के स्थान पर सही नाम अमरलाल अंकन कर पूर्व त्रुटियों को दुरुस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है वादी के खाते की त्रुटियों को सही करवाने के लिए राजस्व केम्प बराना में भी आवेदन पेश किया गया था लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आप न्यायालय में आकर वाद पेश करना बाद में बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खाते की त्रुटियों अमरप्रकाश व अमर सिंह के स्थान पर सही नाम अमरलाल खाते में अंकन कर दिया जाएगा वाद पत्र स्वीकार कर वादी के कब्जे काश्त कि [illegible]त समस्त खातों में खातेदार अमरप्रकाश अमर सिंह के स्था[illegible] पुत्र नंदलाल जाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

मीणा नाम खातेदार अंकन किए जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्याय उचित है वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी भाग जो सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की गई वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 9 नकल जमाबंदी ग्राम बरानी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 176 नकल जमाबंदी ग्राम कोटडा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 111 नकल जमाबंदी ग्राम कोटडा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 109 नकल जमाबंदी ग्राम करना हेड़ा संवत 2072 खाता संख्या 3 नकल जमाबंदी ग्राम करना हेड़ा संवत 2072 खाता संख्या 24 नकल जमाबंदी ग्राम करनाहेड़ा संवत 2072 खाता संख्या 137 नकल जमाबंदी ग्राम करनाहेड़ा खाता संख्या 137 संवत 2072 नकल जमाबंदी ग्राम करनाहेड़ा संवत 2072 खाता संख्या 137 नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 7 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की गई। साक्ष्य वादी में अमर लाल पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी बराना तहसील बारां का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाक्य ग्राम बढ़ाना करना हेड़ा कोटडा में वादी के खातेदारी में दर्द चली आ रही है बादी के खातेदारी की भूमि में राजस्व रिकार्ड में अमर लाल के स्थान पर अमर प्रकाश अमर सिंह नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम अमरलाल है वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 1989 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंक तालिका व प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसमें बादी का नाम अमर लाल मीणा पुत्र नंदलाल मीणा अंकित है वादी द्वारा आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई जिसमें वादी का सही नाम अमरलाल अंकित है वादी अपने नाम को राजेश रिकॉर्ड में दुरुस्त कराने हेतु यह वाद पेश किया है वादी का नाम अमर प्रकाश अमर सिंह के स्थान पर अमरलाल अंकित किया जावे। बादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नाम राज्य सरकार में गलत होने के कारण वादी राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रह जाता है बादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंबर प्रकाश अमर सिंह के स्थान पर अमरलाल दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2071 से 74 खाता संख्या 9 में वादी का नाम अंबर प्रकाश पुत्र नंदलाल दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बरानी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 176 में वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबंदी ग्राम कोटडा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 111 मैं वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम कोटडा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 109 में वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम करना हिरा संवत 2072 में वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम करना हेड़ा संवत 2072 खाता संख्या 24 में वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबंदी ग्राम करनाहेडा संवत 2072 खाता संख्या 137 में वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज रिकॉर्ड है नकल जमाबंदी ग्राम करना हेड़ा संवत 2072 में वादी का नाम अमर सिंह पुत्र नंदलाल दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम करना हेड़ा संवत 2071-2074 खाता संख्या 7 मैं वादी का नाम अमर सिंह उर्फ अमर लाल पुत्र नंदलाल जाती मीणा दर्ज रिकार्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कि सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 1989 के प्रमाण पत्र में वादी का नाम अमर लाल मीणा पुत्र नंदलाल मीणा दर्ज है आधार कार्ड मैं वादी का नाम अमर लाल पुत्र नंदलाल मीणा दर्ज है इससे यह साबित होता है कि वादी का सही नाम अमर लाल पुत्र नंदलाल जाति मीणा है परंतु राज्य सरकार जमाबंदी में वादी का नाम अमरलाल के स्थान पर अमरप्रकाश अमर सिंह दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार [illegible] का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आरा जिला के ग्राम [illegible] 176 एवं ग्राम कोटडा के

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 111 ,109 एवं ग्राम करनाहेड़ा के खाता संख्या 137, 3, 24 ,137 मैं दर्ज अमरप्रकाश व अमर सिंह के स्थान पर अमरलाल उर्फ अमरसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिए जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

दिव्यांश शर्मा
(आर ए एस)
उपखंड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

[illegible] 123/19	धारा अंतर्गत 88, 89, 90	निर्णय दिनांक 1-4-22
[illegible] श्री डिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
[illegible]स्थिति - अभिभाषक वादी श्री बालमुकन्द गुर्जर	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

ओमलाल पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी बराना तह० बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी बारां तह० बारां
2. ओमसिंह पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी बारां तह० बारां
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बराना खाता सं० 9, 176 एवं ग्राम कोटड़ा के खाता सं० 111, 109, एवं ग्राम कनोखड़ा के खाता सं० 137, 3, 24, 137 में दर्ज ओमप्रकाश व ओमसिंह के स्थान पर ओमलाल उर्फ ओमसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते हैं।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 01-4-22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner